राजस्थान सरकार

कार्यालय सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर)

क्रमांकः– 448 दिनांकः– 15.3.23

निविदा सूचना

कार्यालय सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर) में एसी हेतु पंजीकृत संस्थाओं से मुहरबन्द निविदाऐं आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	सामग्री / कार्य का विवरण	अनुमानित लागत रू.	निविदा प्रपत्र का मूल्य रू.	अमानत राशि रू.	निविदा विक्रय करने की अंतिम दिनांक	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक समय	निविदा खोलने की दिनांक व समय
1	1.5 टन एसी हेतु निविदा	400000	400	8000	27.03.23 11:00 AM	27.03.23 11:00 AM	27.03.23 11:30 AM

एवं

उक्त निविदा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत जारी की जाकर राजकीय वेबसाईट www.sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है। निविदा की अन्य शर्ते कार्यालय में देखी जा सकती है।

सदस्य सचिव

मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी नीमकाथाना

राजस्थान सरकार

कार्यालय सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर)

क्रमांकः– 448 दिनांकः– 15·3·23

1.5 टन एसी हेतु निविदा आवेदन प्रपत्र

उक्त निविदा सूचना आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी की गई।

सदस्य सचिव

मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी नीमकाथाना

तकनीकी बिड (स्टेज–1)

1. निविदादाता व्यक्ति/फर्म का नाम एवं पता : ....:

2. फर्म / प्रोपराइटर / पार्टनर/ संचालक का पैन न. : ....(फोटो प्रति सलंग्न करें)

3. ई – मेल एड्रेस : ....

4. निविदा शुल्क की नकद जमा राशि रूपये 400/– रसीद सं0...................दिनांक.............................

क्र. सं.	नाम आईटम मय विवरण	मात्रा
1	1.5 Ton Split AC	10
विरतृत विवरण एवं शर्तें विभाग की वेबसाईट sppp.rajasthan.gov.in, पर अवलोकन हेतु उपलब्ध है।		

5. संलग्न प्रमाण पत्रों/दस्तावेज का विवरणः–

क्र. सं.	प्रमाण पत्र का प्रकार	हॉ या नही	जारी होने की तिथि/वैद्यता अवधि/बैंक का विवरण
1.	सूचना में अंकित धरोहर राशि रू.......... की डीडी नम्बर........................... दिनांक........................... का विवरण		
2.	पेन कार्ड (आयकर)		
3.	ब्लैकलिस्टेड नहीं किये जाने के संबंध में स्वघोषणा पत्र		
4.	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र		
5	प्रपत्र एस.आर.–11 की मूल प्रति।		

6	यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति।		
7	यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीकृत संख्या एवं उसका वर्ष सहित दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति।		
8	कम्पनी के मामले में कम्पनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।		
9	निविदा शुल्क राशि 400/– जमा कराने का साक्ष्य की प्रति		

उक्त रजिस्ट्रेशन के संबंधित सत्यापित दस्तावेज निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिये गये है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय फर्म की सील

एस आर–11

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके मैं/हम वास्तविक व्यापार कर्त्ता/अधिकृत थोक विक्रेता एवं उत्पादनकर्त्ता हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

(जो लागू हो उसे √ करें)

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय फर्म की सील

राजस्थान सरकार

कार्यालय सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर)

वित्तीय निविदा(स्टेज 2)

S.R.No	Name of Item with Description	Rate per item in RS.(Inclued all taxes)
01	1.5 Ton Split AC	

NOTE :- All the attached specification should be as " Equivalent or Higher".

दरें शब्दों एवं अंकों दोनो में प्रस्तुत करें। ओवरराइटिंग एवं कटिंग है तो लघुहस्ताक्षर जरूर करें।

1. वित्तीय निविदा अलग से बंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।
2. विभाग द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस. काट कर भुगतान किया जावेगा।
3. उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्ते जो संलग्न पृष्ठ में दी गई है, जिसके समस्त पृष्ठो पर उनमें वर्णित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमारे हस्ताक्षर कर दिये गये है, का भी पालन करने के लिए हम सहमत है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय फर्म की सील

राजस्थान सरकार

कार्यालय सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर)

SPECIFICATIONS for 1.5 Ton Split AC

S.no.	Name of item	Specification	Specification available enter by bidder yes /no
1	1.5 Ton Split AC	• NAME OF COMPANY ENTERED BY BIDDER • Split AC with inverter compressor: Variable speed compressor which adjusts power depending on heat load. Convertible / adjustable with 4 cooling modes through remote control to operate in different tonnages for different cooling needs (20% to 120% capacity) • Capacity: 1.5 ton Suitable for medium sized rooms (111 to 150 sq ft) & Ambient Temperature: 52 degree Celsius • Energy Rating: 3 Star | Annual Energy Consumption 4800 Units per year | ISSER Value: 3.81 • Warranty : 2 year warranty on product, 10 years warranty on Inverter Compressor • Copper Condenser Coil: Better cooling and requires low maintenance, Prevents from rust & corrosion; Increase durability; Uninterrupted cooling • Key Features: Stabilizer free operation within 110 - 285 voltage range; Digital Temperature Display ; Noise Level: IDU - 47 (db) • Special features: Anti Dust, Anti-Corrosive Coating, Auto Restart, Large LED Display, Turbo Mode, Dual Temp Display, Self Diagnosis, Adjustable Cooling • R32 Refrigerant - The air conditioner uses the next generation R32 refrigerant, which helps conserve the ozone layer and has a low impact on global warming. • Item Dimensions & Weight : IDU - 84 cm x 29 cm x 21 cm (w x h x d), Outdoor : 83.5 cm x 55.5 cm x 29.5 cm (w x h x d), IDU : 11.5 Kg, Outdoor : 30.2 Kg • Included In The Box: 1 Indoor Unit, 1 Outdoor Unit, 1 Inter Connecting Copper Pipe of 3 feet length, 1 Remote Control, 1 User manual, 1 Warranty Card, 2N Battery, 6N Screw, 6N Nylon Sleeve, 1N Cable, and Installation kit – 10 m Copper Wire. • INSTALLATION FREE.	

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय फर्म की सील

राजस्थान सरकार

कार्यालय सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर)

निविदा की शर्ते

नोट :– निविदादाता को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा निविदा भेजते समय इसकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिए। इन शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदा प्रस्तावक के हस्ताक्षर होना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। इस निविदा के क्रम में किए जाने वाले क्रय पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधान प्रभावी होंगे। उक्त सामग्री का आपूर्ति के संबंध मे दर प्रस्तुत करते समय राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 46 के अनुसार दर प्रस्तुत करने से पूर्व कय समिति से विस्तृत स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेंवे तथा दर प्रस्तुत करते समय सामग्री का तकनीकी विवरण लिखा जावें जिसके आधार पर दर व किस्म में तुलना की जा सकें।

निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय तक कार्यालय समय में इस कार्यालय की लेखा शाखा में से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा की शर्तें भी कार्यालय समय में इस कार्यालय की लेखा शाखा में देखी जा सकती है।

1. निविदा के मुहरबन्द लिफाफे में अंकित दस्तावेज तथा निविदा को निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न सामान्य शर्तों के प्रपत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र हस्ताक्षरित एवं फर्म की मुहर अंकित किये जाकर संलग्न करने है।
2. आदेशित सामग्री की मात्रा में कमी अथवा वृद्वि के सम्बंध में समस्त अधिकार क्रय समिति, मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर) के पास सुरक्षित होंगे।
3. निविदा में वर्णित प्रत्येक आईटम की एकल दरें ही मान्य होंगी तथा एक से अधिक दरें देने पर सम्बंधित आईटम की दर अस्वीकार्य होंगी।
4. निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत दरों में जीएसटी एवं अन्य समस्त कर एवं समस्त प्रकार के प्रभार सम्मिलित होंगे।
5. निविदा प्रपत्र स्याही से या टंकन से भरा जाएगा। पेंसिल से भरी हुई किसी भी निविदा पर विचार नही किया जाएगा।
6. दरें नियत स्थान पर अंको एवं शब्दों दोनो में लिखी जाएगी। इसमें कोई काट–छाँट एवं उपरी लेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्वियां करनी आवश्यक हो तो वे स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
7. निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत दरों में अंकों एवं शब्दों मे वर्णित दरों में अंतर नही होना चाहिए। अंतर होने की स्थिति में जो भी दर कम होगी उस पर विचार किया जाएगा।
8. माल की आपूर्ति/फिक्सिंग मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर) में ली जाएगी।
9. आपूर्तिकर्त्ता अपनी संविदा को किसी अन्य एजेंसी के लिए नहीं सौपेगा या उपभाड़े (सब–लैट) पर नही देगा।

Sd/-

10. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की प्रयोगशाला/तकनीकी जांच आवश्यक है तो आपूर्ति के साथ जांच प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें। आपूर्ति के पश्चात् कोई गुणवत्ता सम्बंधी विपरीत स्थिति पाई जाती है तो समस्त जिम्मेदारी आपूर्तिकर्त्ता फर्म की होगी।

11. सफल निविदा दाता द्वारा सप्लाई की गई सामग्री का विभाग किसी भी समय सामग्री की निविदा के स्पेसीफिकेशन अनुसार सरकारी प्रयोगशाला से जांच कराने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि सामग्री निविदा के स्पेसीफिकेशन अनुसार पाई गई तो जांच के परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जायंगे। अन्यथा उक्त प्रभार निविदा दाता को वहन करने होंगे।

12. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं पाई जाएगी, उन्हे रद्द कर दिया जाएगा तथा निविदा दाता द्वारा ऐसी वस्तुओं/सामग्री को क्रेता अधिकारी द्वारा **नियत समय (1 माह) के** भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदलना होगा।

13. निविदा अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन करने पर बिना नोटिस दिए अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। अनुबंध की शर्तो के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का विवाद होने पर कानूनी कार्यवाही नीमकाथाना न्यायालय में ही होगी।

14. निविदा दाता उचित पैकिंग/फिक्सिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा। किसी प्रकार की हानि, क्षति, कमीं होने के मामले में निविदा दाता उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पाई गई ऐसी हानि एवं कमीं की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।

17. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा सामग्री की आपूर्ति कार्यादेश देने की दिनांक से **5 दिन की अवधि के अंदर** की जाएगी।

15. सफल बोली दाता निर्धारित अवधि अनुमानित राशि का 2.5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि डी.डी. जो कि सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर)के नाम से देय बनाया जाकर दरें स्वीकृत करने के 3 दिवस के भीतर आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। जमा राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

16. यदि क्रेताधिकारी किन्ही निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा में कम मात्रा में माल खरीदता है तो निविदा दाता किसी क्षति पूर्ति का क्लेम करने के अधिकृत नहीं होगा।

17. करार निक्षेप :–

    (1) सफल निविदा दाता को आदेश के प्राप्त होने के 3 दिन की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में राशि रूपये 500/– का नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा।

18. भुगतान :–

    (1) राशि का भुगतान दिए गए आदेश के अनुरूप सामग्री पूर्ण एवं सही हालत में प्राप्त होने पर दिया जाएगा।

    (2) भुगतान निविदा दाता क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदा दाता द्वारा वहन किये जाऐंगे।

    (3) नियमानुसार देय कर की कटौती भुगतान के समय स्त्रोत पर की जाएगी।

    (4) निविदादाता द्वारा अंकित की गई दर में सभी प्रकार के कर एवं व्यय शामिल होंगे।इसके अतिरिक्त अन्य कोइ भुगतान नही किया जायेगा।

19. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी, जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है :-

1(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत।

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि के लिए 5 प्रतिशत।

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की तीन चौथाई अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत।

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक अवधि के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत।

2 परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

3. यदि प्रदायकर्त्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि कराना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी अवधि हेतु आदेश दिया है, किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न किये सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

4. यदि माल के सप्लाई कार्य करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदा दाताओं के नियंत्रण से परे कारणों से हुई तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

20. वसूलियां :-परिनिर्धारित नुकसानी, कम प्रदाय, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिलों में रोकी जाएगी। कम सप्लाई, रद्द किये गये माल की मात्रा की राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय (Liquidated Damages) के साथ वसूली उसकी देय राशि क्लेम्स एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी।

21. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाए, किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदा दाता ने निविदा दी है, उन सबके लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक से अधिक सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

22. यदि संविदा के निर्वचन आशय का संविदा की शर्तो के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह प्रकरण विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा एवं इसमें अंतिम निर्णय विभागाध्यक्ष का ही होगा, जो कि निविदादाता को मान्य होगा।

23. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार सरकार को निविदा दाताओं द्वारा नीमकाथाना न्यायिक क्षेत्र में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी।

24. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम और राजस्थान उपापन एवं पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधान यथास्थान लागू होंगे।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने उपर्युक्त समस्त शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है जो हमें स्वीकार्य है, जिसकी सहमति के रूप में निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम एवं मोबाइल नं.........................